UPJS100051012026

न्यायालय- सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम०, गरौठा , जनपद- झाँसी ।

पीठासीन अधिकारी- मयंक प्रकाश (उ० प्र० न्यायिक सेवा)

(J. O. Code- UP02293)

प्रकीर्ण वाद सं० - 85/ 2026

राकेश कुमार बनाम मुस्कान ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना- एरच , जिला- झाँसी ।

दिनांक- 03. 06. 2026

1. पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी०एन०एस०एस० पर आदेशार्थ पेश हुई । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 173(4) बी०एन०एस०एस० पर पूर्व में सुना जा चुका है ।

2. पत्रावली का अवलोकन किया ।

3. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कथन है कि प्रार्थी मोहल्ला तलैयापुरा कस्बा व थाना- एरच , जिला- झाँसी का रहने वाला है । प्रार्थी की शादी चिरगांव मंदिर से मुस्कान के साथ हुई थी जिसका अनुबंध पत्र दिनांक- 15. 10. 2025 को तहरीर किया गया था । प्रार्थी की पत्नी शादी के बाद साथ में अच्छी तरह रही । दिनांक- 11. 04. 2026 को प्रार्थी की पत्नी अभियुक्ता श्रीमती मुस्कान का भाई अभियुक्त राज आया और प्रार्थी के पिता से बोला कि हमारी दादी मर गई हैं उसकी तैरहवीं है , तैहरवी के लिए 1, 50, 000/ - रूपये दे दो । प्रार्थी के पिता ने गाँव में यहाँ वहाँ से लेकर मु०- 1, 50, 000/ - रूपया उसे दे दिये व प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती मुस्कान अपने चढ़ाये हुए सारे जेवर पहनकर अपने भाई के साथ चली गई । तैहरवी होने के उपरांत जब प्रार्थी अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया तो प्रार्थी के ससुराल वालों ने 2- 4 दिन की कहकर टाल दिया । जब प्रार्थी के पिता दिनांक- 29. 04. 2026 को प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मुस्कान को लेने प्रार्थी की ससुराल गये तो प्रार्थी के ससुराल वालों ने बताया कि मुस्कान किसी के साथ भाग गई है जब प्रार्थी के पिता ने तैहरवी में दिये हु पैसे मांगे तो प्रार्थी के ससुराल वाले ससुर परमानन्द , सास श्रीमती ललिता , साले राज व रग्घू बोले हमें तेरे कोई पैसे नहीं देने हैं । हमने तेरे पैसे व जेवर हड़प लिये हैं । प्रार्थी के पिता को गाली- गलौज कर धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया । प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती मुस्कान की काफी खोजबीन की तब पता चला कि प्रार्थी के ससुराल वालों ने प्रार्थी की पत्नी अभियुक्ता श्रीमती मुस्कान को दीपक निवासी- भाण्डेर को पैसे लेकर बेच दिया है । अभियुक्तगण द्वारा परिवादी का जेवरात कीमती छः लाख रूपये व डेढ़ लाख रूपया नगद धोखाधड़ी करके रख लिया है । प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मुस्कान व ससुराल वालों ने षडयंत्र रचकर प्रार्थी को ठग लिया है तथा प्रार्थी के जेवर व पैसे हड़प लिये हैं । प्रार्थी ने दिनांक- 05. 05. 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु संबंधित थाने की पुलिस को आदेशित करने की याचना की गई है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है ।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी ।

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.06.03 12:57:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. पत्रावली पर पुलिस आख्या उपलब्ध है, जिसके अनुसार इस संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है ।

6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथन से यह विदित होता है कि प्रार्थी को मामले के समस्त तथ्यों की जानकारी है एवं साक्षीगण आदि भी परिचित हैं तथा ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना आवश्यक हो। ऐसी दशा में मामले को परिवाद के रूप में संचालित कर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

7. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की **विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण संख्या- 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19- 03- 2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2001 (45) ए०सी०सी०- 50 व माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय राम बाबू बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य (43) ए०सी०सी० पेज- 50 तथा माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमनल लॉ जनरल पेज- 472** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों तथा प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा - 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाये। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में दर्ज करें।

पत्रावली दिनांक- 29. 07. 2026 को प्रार्थी के बयान अन्तर्गत धारा- 223 बी०एन०एस०एस० पेश हो।

दिनांक- 03. 06. 2026

(मयंक प्रकाश)

सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी० जे०एम०,

गरौठा , जनपद- झाँसी।